समाचार

अन्य राज्यों से वापस आयें राशन कार्डहीन प्रवासी व्यक्तियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को दिया जाएगा 05 किलो चावल, 01 किलो चना

कोरबा 23 मई 2020 –राज्य शासन के निर्देशानुसार अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आये राशन कार्डहीन प्रवासी व्यक्तियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को माह मई एवं जून में 05 किलो चावल एवं 01 किलो चना दिया जाएगा। शासन के निर्देशों के परिपालन में महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने सभापति श्री श्यामसुंदर सोनी, आयुक्त श्री राहुल देव, अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली तथा शासन की मंशा के अनुरूप तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्य शासन द्वारा संवेदनशील कदम उठाते हुए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवासी व्यक्तियों के परिवार के प्रति सदस्य को 05 किलो चावल व 01 किलो चना माह मई एवं जून में उपलब्ध कराया जाना हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई राशन कार्ड नहीं है। इस संबंध में गुरूवार को नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित महापौर कक्ष में महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने सभापति श्री श्यामसुंदर सोनी, आयुक्त श्री राहुल देव, अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में जिला खाद्य अधिकारी व निगम के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर तत्संबंध में त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने एवं शासन की इस संवेदनशील योजना को तुरंत अमलीजामा पहनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिसके परिप्रेक्ष्य में निगम के सभी जोन के अधिकारी कर्मचारियों को वार्डवार दायित्व दिए जा कर शासन की मंशा अनुसार अन्य राज्यों से आये प्रवासी व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन एवं अन्य प्राप्त स्त्रोतों से जानकारी हासिल कर उन्हें प्रति सदस्य 05 किलो चावल एवं 01 किलो चना दिए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में निगम के डाटा एंट्री आपरेटरों को कार्य का प्रशिक्षण दिया गया तथा 22 मई से ही यह कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सम्पन्न बैठक में जिला खाद्य अधिकारी श्री चतुर्वेदी एवं निगम के सम्पत्तिकर अधिकारी श्रीधर बनाफर उपस्थित थे।

निर्धारित फार्म भरवाने में सहयोग करें– महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने निगम के समस्त मेयर इन कांउसिल सदस्यों एवं पार्षदगणों से आग्रह किया है कि उक्त योजना के फार्म निगम के सभी जोन कार्यालय में उपलब्ध है, पात्रताधारी हितग्राहियों का फार्म भरवाने में आप सहयोग करें, फार्म जोन कार्यालय में ही जमा होंगे तथा वहीं पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन भी निगम के डाटा एंट्री आपरेटरों द्वारा किए जाएंगे। हितग्राही का डाटा एंट्री होने पर, उनके मोबाईल पर एक आईडी आएगा, जिसके माध्यम से वह संबंधित राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होने कहा है कि पूर्व में बनाई गई सूची भी जोन में प्रायः उपलब्ध होगी, यदि कोई हितग्राही छूटा हो तो उसे भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना होगा। उन्होने बताया है कि खाद्य अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई है कि उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक नया राशन कार्ड बनना रोक दिया गया है, बाद में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पुनः चालू की जाएगी। महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद के प्रयास से आवेदन में संलग्न किए जाने वाला 2011 का जनगणना पत्रक की बाध्यता के विकल्प के लिए नया घोषणा पत्र/पंचनामा पत्रक तैयार किया गया है, पंचनामा में संबंधित वार्ड पार्षद के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।